

मुम्बई न्यायमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

सद सं०-एन०वी० 68/2018

धारा-145 द०प्र०सं०

प्रथम पक्ष

बनाम

लाल मोहन महतो

द्वितीय पक्ष

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक के द्वारा आवेदन दिया गया है कि विवादित जमीन को लेकर उभय पक्ष में दखल-कब्जा को लेकर शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए विवादित भूमि पर द० प्र० सं० की धारा-145 के तहत द्वितीय पक्षों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया गया। उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

विवादित भूमि विवरणी

मौजा-जिलिंगसेरेंग, थाना-तमाड़,

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
08	477	69 डी० मध्ये 03 डी०	उ०-मोहन महतो द०-अनिल महतो प०-गोकुल महतो प०-मोहर महतो

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने जबाब में निम्न उल्लेख किये हैं:-

1. यह है कि वर्णित भूमि प्रथम पक्ष के पिता स्व० चैता महतो पिता-अमर महतो ने सन् 21/02/1991 ई० को निबंधित वेवाला पट्टा से प्राप्त किये हैं। जिसका डीड संख्या-2080, दिनांक 21/02/1991 ई० है। प्राप्त करने के पश्चात दखलकार हुए।
2. यह है कि उक्त जमीन पर प्रथम पक्ष का हक हकियत एवं स्वामित्व बरकरार है। जिसको द्वितीय पक्ष के द्वारा ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते हैं।
3. यह है कि द्वितीय पक्षकार संख्या-2, स्व० अमीन मोची का पुत्र है। प्रथम पक्ष के पिता स्व० अमीन मोची से विवादित जमीन को कय किया था। विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष का किसी प्रकार का दावा नहीं बनता है। विवादित जमीन को लेकर द्वितीय पक्ष के हाथों ही शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-145 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए द्वितीय पक्ष को विवादित जमीन पर जाने से रोक लगाते हुए प्रथम पक्ष के हित में दखल-कब्जा घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष

द्वितीय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निम्न उल्लेख किये हैं:-

1. यह है कि वर्णित भूमि खाता संख्या-08, प्लॉट संख्या-477, रकवा-69 डी० आर. एस. खतियान में रामनाथ मोची के नाम से कायमी दर्ज है। रामनाथ मोची के पुत्र अमीन मोची हुए। अमीन मोची के पुत्र धरनी मोची हुए।

8/10/20

2 यह है कि द्वितीय पक्ष के संख्या-1 लाल मोहन महतो के पूर्वज कलेश्वर महतो वो फतुराम महतो दोनों पिता-धरमा महतो ने खाता संख्या-08, प्लॉट संख्या-477, रकवा-69 डी0 मध्ये 21 डीसमील दिनांक 02/03/1950 ई0 को खतियानी रैयत के पुत्र अमीन मोची से पचासी रूपये में कय किया है। कय करने के बाद लालमोहन महतो के पूर्वज धरमा महतो के पुत्रगण जमीन पर दखलकार हुए तथा मकान बनाकर सपरिवार रहने लगे।

3. यह है कि 1956 ई0 में जमीन्दारी प्रथा का उन्मूलन हुआ तो रकवा-21 डीसमील जमीन पर लालमोहन महतो के पूर्वज के दखल-कब्जा एवं कागजात के आधार पर कलेश्वर महतो वो फतुराम महतो दोनों पिता-धरमा महतो के नाम पंजी-11 में नाम दर्ज हुआ एवं मालगुजारी होता आ रहा है।

4. यह है कि धरमा महतो के तीन पुत्र कलेश्वर महतो वो फतुराम महतो वो कहबर महतो हुए। कहबर महतो के पुत्र लालमोहन महतो हुए। धरमा महतो के तीनों पुत्रों का रकवा-21 डीसमील जमीनपर शांति पूर्वक दखलकार है। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की कय भूमि रकवा-21 डी0 मध्ये 03 डी0 जमीन पर दावा कर रहे हैं। विवादित जमीन पर प्रथम पक्ष का किसी प्रकार का दखल नहीं है। उन्होंने विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष के हित में दखल कब्जा घाषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

आदेश

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने एवं उभय पक्ष द्वारा दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन प्रतीत होता है कि विवादित जमीन आर. एस. खतियान में रामनाथ मोची वल्द मदन मोची के नाम से कायमी दर्ज है। न्यायालय अंचल अधिकारी तमाड़ के विविध वाद संख्या-14/1982-83 में फतु चरण महतो पिता-धरमा महतो ने सादा पट्टा दिनांक 10/04/1951 प्रस्तुत किया है। वाद में सक्षम न्यायालय में जाने का आदेश दिया गया है।

प्रथम पक्ष विवादित खाता संख्या-08, प्लॉट संख्या-477, रकवा-69 डी0 मध्ये 03 डी0 जमीन को खतियानी रैयत के वंशज अमीन मोची पिता-स्व० रामनाथ मोची से सन् 21/02/1991 ई0 को रजिस्ट्री पट्टा से कय करने के आधार पर दावा कर रहे हैं। द्वितीय पक्ष के पूर्वज द्वारा खाता संख्या-08, प्लॉट संख्या-477, रकवा-69 डी0 मध्ये 21 डीसमील जमीन को खतियानी रैयत के वंशज अमीन मोची पिता-स्व० रामनाथ मोची से सन् 02/03/1950 ई0 को सादा पट्टा से कय करने के आधार पर दावा कर रहे हैं। दोनों ही पक्ष अपने-अपने कागजातों के आधार पर खाता संख्या-08, प्लॉट संख्या-477, रकवा-69 डी0 मध्ये भूमि की दावेदारी कर रहे हैं। कागजातों की पुष्टि हेतु यह सक्षम न्यायालय नहीं है। जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-145 के तहत आदेश पारित किया जाना संभव नहीं है। उभय पक्ष शांति व्यवस्था बनाये रखे साथ ही द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की रजिस्ट्री पट्टा से कय जमीन पर किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करे। उभय पक्ष कागजातों की पुष्टि हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। इसी निरूपण के साथ वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू(राँची)

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू(राँची)